तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज पाबूराम. बनाम लो.सू.अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़शहर) सू.अ.अ.अपील सं0 124/2023 (ऑनलाईन नं.353095628043163)	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.23	अपीलार्थी पाबूराम सुथार पुत्र कालूराम, निवासी ग्राम हरियाढाण तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर(ग्रामीण) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.03..23. में उसके द्वारा (1) ऑनलाईन सम्पर्क पॉर्टल पर दर्ज परिवाद संख्या 022333614767479 में आपने बतलाया तहसील ऑफिस आकर रिपोर्ट फॉर्मेट ले जावे, उस रिपोर्ट फार्मेट की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं ; से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर करं रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार पीपाड़शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार पीपाड़शहर) से जरिये पत्रांक 1076 दिनांक 11.08.23 सूचनार्थ पत्र प्राप्त हुए जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा सूचना की अपील तहसील कार्यालय बिलाड़ा से संबंधित मानते हुए इस कार्यालय से चाही गई तथ्यात्मक टिप्पणी के लिए तहसीलदार बिलाड़ा को प्रेषित कर दी गई। प्रथमदृष्टया प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय पीपाड़शहर से संबंधित है तथा तहसील कार्यालय पीपाड़शहर के लोक सूचना अधिकारी से ही सूचना चाही गई है, द्वितीयत् लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़शहर) ने विधिक प्रावधानों के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम का लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया या नहीं, स्पष्ट नहीं किया गया। अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उचित कार्यवाही नहीं करना विधिक प्रावधानों का आत्मसात् न करने का फल है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़शहर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	